

INDIA
PARTNER

Dabur
GROUP


अवीवा नयी ग्रामीण सुरक्षा

सूक्ष्म बीमा उत्पाद



AVIVA

| Life Insurance |



उत्पाद – एक नॉन-पार्टिसिपेटिंग, नॉन-लिंक्ड टर्म एकल प्रीमियम टर्म इंश्योरेंस प्लान जो आपके परिवार के भविष्य को सुरक्षित करता है।

हम अपने परिवार का बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के लिए अपने पूरे जीवन में कड़ी मेहनत करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यदि आप जीवित नहीं रहे तब आपका परिवार कैसे प्रबंधित करेगा? आपके परिवार की रोजमर्रा की आवश्यकताओं, आपके बच्चे की शिक्षा या आपके द्वारा उठाए गए ऋण को कौन चुकाएगा?

जीवन अनिश्चितताओं से भरा है और इसलिए यह जरूरी है कि आप कुछ कदम उठाएं और सुनिश्चित करें कि आपके प्रियजनों का जीवन आपकी अनुपस्थिति में भी जारी रहे।

पेश है अवीवा नई ग्रामीण सुरक्षा, एक संरक्षण उन्मुख जीवन बीमा योजना, जो आपको अपने परिवार के भविष्य की रक्षा करने में मदद करती है। यद्यपि जीवन के नुकसान के लिए कोई मुआवजा नहीं हो सकता है, अवीवा नई ग्रामीण सुरक्षा सुनिश्चित करती है कि यदि आपके साथ कुछ दुर्भाग्यपूर्ण होता है तो आपके पारिवारिक वित्तीय जरूरतें पूरी होती रहें।

अद्वितीय आकर्षण:

1. बीमित व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में बीमित राशि को परिवार की तत्काल जरूरतों के लिए भुगतान किया जाता है
2. दो पॉलिसी टर्म विकल्पों में से चुनने का विकल्प
3. प्रीमियम के रूप में कम से कम ₹ 500 में अपने आप को सुरक्षित रखें

अवीवा नई ग्रामीण सुरक्षा – पात्रता शर्तें

प्रवेश आयु (पिछला जन्मदिन)	18 साल से 50 साल
अधिकतम परिपक्वता आयु (पिछला जन्मदिन)	60 साल
पॉलिसी अवधि (PT)	5 व 10 साल
प्रीमियम भुगतान अवधि	एकल प्रीमियम
न्यूनतम वार्षिक प्रीमियम	₹ 500
अधिकतम वार्षिक प्रीमियम	₹ 5,000
न्यूनतम बीमा राशि	₹ 10,000
अधिकतम बीमा राशि	₹ 50,000 प्रति जीवन

नोट: सामान और सेवा कर सहित करों तक सीमित नहीं है, लागू होने वाले सेसेस को सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाएगा। कर कानून बदल सकते हैं।

अवीवा नई ग्रामीण सुरक्षा—योजना लाभ

मृत्यु लाभ: पॉलिसी अवधि के दौरान बीमाकृत जीवन की मृत्यु होने पर नामांकित व्यक्ति को एकमुश्त लाभ का भुगतान किया जाएगा, बशर्ते सभी देय प्रीमियम का भुगतान किया गया हो। यह राशि पॉलिसी के बीमित राशि के बराबर होगी और नीचे दी गई तालिका में आयु बंधन में आने वाली प्रविष्टि आयु पर निर्भर करेगी :

आयु बंधन (साल)	पॉलिसी टर्म = 5 साल	पॉलिसी टर्म = 10 साल
18-30	एकल प्रीमियम का 95 गुना*	एकल प्रीमियम का 40 गुना*
31-40	एकल प्रीमियम का 65 गुना*	एकल प्रीमियम का 25 गुना*
41-45	एकल प्रीमियम का 40 गुना*	एकल प्रीमियम का 15 गुना*
46-50	एकल प्रीमियम का 25 गुना*	एकल प्रीमियम का 10 गुना*

*एकल प्रीमियम में अतिरिक्त प्रीमियम और/या कर, यदि कोई हो, शामिल नहीं है

परिपक्वता लाभ: चूंकि यह एक शुद्ध टर्म उत्पाद है, नीति परिपक्वता पर कुछ भी देय नहीं है।

महत्वपूर्ण नियम और शर्तें जिन्हें आपको जानना चाहिए

सर्मपण मूल्य: पहली पॉलिसी वर्ष के बाद किसी भी समय पॉलिसी समर्पित की जा सकती है।

देय समर्पण मूल्य की गणना इस प्रकार की जाएगी:

सर्मपण मूल्य = भुगतान किया गया एकल प्रीमियम* × समर्पण मूल्य कारक
*एकल प्रीमियम में अतिरिक्त प्रीमियम और/या कर, यदि कोई हो, शामिल नहीं है

समर्पण मूल्य कारक नीचे दी गई तालिका के अनुसार हैं:

पॉलिसी समर्पण वर्ष	पॉलिसी टर्म = 5 साल	पॉलिसी टर्म = 10 साल
1	0%	0%
2	50.0%	55.0%
3	35.0%	50.0%
4	20.0%	45.0%
5	—	40.0%
6	—	35.0%
7	—	30.0%
8	—	25.0%
9	—	20.0%
10	—	—

संरेंडर वैल्यू कम से कम 250 रुपये के बराबर होना चाहिए, अन्यथा कोई समर्पण मूल्य देय नहीं होगा।

ऋण

अवीवा इस नीति के खिलाफ ऋण नहीं देंगे।

आत्महत्या बहिष्करण

पॉलिसी के शुरू होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर आत्महत्या के कारण बीमित व्यक्ति की मृत्यु के मामले में, अतिरिक्त प्रीमियम और करों को छोड़कर, भुगतान किए गए प्रीमियम का 80 प्रतिशत, यदि कोई हो, तो देय होगा।

अन्य बहिष्करण, यदि कोई है (उदाहरण व्यावसायिक जोखिम, यात्रा)

ऊपर दिए गए आत्महत्या दावा प्रावधानों के अलावा कोई भी नहीं।

नमांकन और समर्पण

समय—समय पर संशोधित बीमा अधिनियम 1938 की धारा 39 के अनुसार नमांकन की अनुमति है, इस पॉलिसी के अर्थात् आता है।

इस नीति के तहत समय—समय पर संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 38 के अनुसार समर्पण की अनुमति है।

स्वीकृति:

पूर्ण प्रस्ताव और प्रारंभिक भुगतान की कंपनी द्वारा रसीद जोखिम को स्वीकार करने के लिए कंपनी के हिस्से पर कोई दायित्व पैदा नहीं करती है, और कंपनी तब तक उत्तरदायी नहीं होगी जब तक कि उसने जोखिम स्वीकार नहीं किया है और पॉलिसी जारी है।

फ्रीलुक अवधि

आपको इस पॉलिसी के नियमों और शर्तों की समीक्षा करने का अधिकार है, जो फ्रीलुक अवधि के भीतर है जो पॉलिसी दस्तावेज की प्राप्ति की तारीख से 15 दिन है।

यदि पॉलिसीधारक किसी भी नियम या शर्तों से असहमत हैं, तो पॉलिसीधारक के पास आपत्ति के कारण बताते हुए नीति वापस करने का विकल्प है।

यदि पॉलिसीधारक फ्रीलुक अवधि के दौरान पॉलिसी रद्द कर देता है, तो कंपनी रद्दीकरण की तारीख पर प्रीमियम, आनुपातिक जोखिम प्रीमियम, यदि कोई हो, और चिकित्सा और स्टाम्प ड्यूटी पर किए गए खर्चों का कटौती करने के बाद वापस कर देगी।

अवीवा के साथ निवेश क्यों करें

अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड डाबर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्प और अवीवा इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड — यूके स्थित बीमा समूह, जिसका भारत के साथ संबंध 1834 तक है, का संयुक्त उद्यम है। अवीवा समूह दुनिया के सबसे पुराने बीमा समूहों में से एक है। वर्तमान में, यह 16 देशों (मार्च, 2015) में 31 मिलियन ग्राहकों की सेवा करता है।

1884 में स्थापित डाबर समूह, पारंपरिक स्वास्थ्य देखभाल उत्पादों के भारत के अग्रणी उत्पादकों में से एक है।

धारा 41

(1) किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनुमति देने या किसी भी व्यक्ति को भारत में जीवन या संपत्ति से संबंधित किसी भी तरह के जोखिम के संबंध में बीमा, पॉलिसी पर दिखाए गए प्रीमियम के पूरे या हिस्से के किसी भी छूट या पॉलिसी पर दिखाए गए प्रीमियम का कोई छूट लेने या नवीनीकरण करने या जारी रखने की अनुमति देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और न ही कोई भी व्यक्ति जो पॉलिसी ले रहा है या नवीनीकरण कर रहा है या पॉलिसी जारी रखेगा। इस तरह की छूट को छोड़कर, प्रकाशित प्रॉस्पेक्टस या बीमाकर्ता की सारणी के अनुसार अनुमति दी जा सकती है:

इस तरह के स्वीकृति के समय अपने स्वयं के जीवन को इस उपधारा के अर्थ में प्रीमियम के छूट के स्वीकृति के रूप में समझा नहीं जाएगा। बशर्ते कि जीवन बीमा पॉलिसी की पॉलिसी के संबंध में कमीशन के बीमा एजेंट द्वारा स्वीकृति दी गई हो, बीमा एजेंट निर्धारित शर्तों को पूरा करता है कि वह बीमाकर्ता द्वारा नियोजित एक पूर्ण बीमा एजेंट है।

(2) इस धारा के प्रावधानों का अनुपालन करने में कोई भी व्यक्ति दोषी के रूप से जुर्माना देने के लिए उत्तरदायी होगा जो दस लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

धारा 45

समय—समय पर संशोधित बीमा अधिनियम 1938 की धारा 45 के अनुसार, तीन वर्ष के बाद गलतफहमी के आधार पर नीति को प्रश्न के घेरे में नहीं रखा जाना चाहिए।

पूछताछ और शिकायत:

अधिक जानकारी, पूछताछ या शिकायतों के लिए कृपया नीचे दिए गए नंबरों पर हमसे संपर्क करें:

1800-103-7766 (बीएसएनएल/एमटीएनएल उपयोगकर्ताओं के लिए टोल-फ्री) या 0124-2709046 या SMS "Aviva" to 5676737
फैक्स नं.: 0124- 2571210



AVIVA
| Life Insurance |

डाबर इन्वेस्ट कॉर्प और अवीवा इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड के मध्य एक संयुक्त उद्यम

अवीवा जीवन बीमा कंपनी इंडिया लिमिटेड

मुख्य कार्यालय: अवीवा टावर, सेक्टर रोड, गोल्फ कोर्स के सामने,
डीएलएफ फेज-V, सेक्टर 43, गुडगाँव-122 003, हरियाणा, भारत।
फोन: +91 0124-2709000, फैक्स: +91 0124-2571210

वेबसाइट: www.avivaindia.com

ई-मेल: customerservices@avivaindia.com

पंजीकृत कार्यालय: द्वितीय मंजिल, प्रकाशदीप बिल्डिंग, 7, टॉलस्टॉय मार्ग,
नई दिल्ली-110 001, भारत

फर्जी फोन कॉल और जाली/ठगी के ऑफर्स से सावधान: IRDA की सार्वजनिक घोषणा:

- IRDA या इसके अधिकारी किसी प्रकार के बीमा या फाइनेंशियल प्रोडक्ट की बिक्री या फिर प्रीमियम इन्वेस्टमेंट जैसे कार्य नहीं करते हैं।
- IRDA किसी बोनस की घोषणा नहीं करता है। ऐसे फोन कॉल आने पर फोन नंबर के साथ कॉल विवरण सहित पुलिस में ज़रूर शिकायत करें।

ऊपर प्रदर्शित ट्रेड लोगो अवीवा ब्रॉण्ड्स लिमिटेड का है और अवीवा लाइफ इश्योरेंस कम्पनी इंडिया लिमिटेड लाइसेंस के तहत इसका उपयोग करती है। लाइफ इश्योरेंस कम्पनी इंडिया लिमिटेड (IRDA पंजीकरण संख्या 122), पंजीकृत कार्यालय: द्वितीय मंजिल, प्रकाशदीप बिल्डिंग, 7, टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली-110 001, भारत। कृपया ध्यान दें कि मूल आधार दस्तावेज़ अंग्रेजी में है और इसके संदर्भ में आपकी आसानी के लिए स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया है। अनुवाद के कारण उत्पन्न होने वाली विविध व्याख्या के मामले में अंग्रेजी संस्करण हर समय स्थानीय भाषा का अधिग्रहण करेगा। निगम पहचान संख्या (CIN): U66010DL2000PLC107880. ई-मेल: customerservices@avivaindia.com. फैक्स: 0124-2701213. वेबसाइट: www.avivaindia.com. कर संबंधी लाभ वर्तमान कानूनों के अनुसार लागू जो बदल सकते हैं। UIN: 122N108V01, MKT/July 2017/Ver.1.2 Advt. No: Jul 19/17